न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/422

रामचन्द्र आयु 75 वर्ष आत्मज मांग्या जाति माली निवासी ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. रामप्रसाद आत्मज स्वर्गीय भूरा जाति माली ।
2. नाथूलाल आत्मज स्वर्गीय भूरा जाति माली ।
3. किशन लाल आत्मज स्वर्गीय भूरा जाति माली ।
4. छोटी बाई पुत्री स्वर्गीय भूरा जाति माली निवासीगण थेगडा कोटा ।
5. धन्ना लाल आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
6. मोहन लाल आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
7. नाथी बाई पुत्री स्वर्गीय हीरा जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
8. छोट्या आत्मज बजरंगा जाति माली निवासी पुरानी धानमण्डी के पास कोटा जिला कोटा (लाऔलाद मृतक) ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. मदनलाल आत्मज औंकार जाति माली निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    - 11/1. रामलाल आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 11/2. मोहन आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 11/3. रमेश आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 11/4. फोरू आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 11/5. देव विधवा मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
12. रामनारायण आत्मज औंकार जाति माली ।
13. भूरया आत्मज हीरा जाति माली निवासी हरमाली का खेडा (मृतक) जरिये कायममुकामान
    - 13/1. बन्टी आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 13/2. नरेश आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 13/3. कैलाश आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 13/4. दयाराम आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    - 13/5. बजरंगी बेवा भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
14. कंवरियां आत्मज हीरा जाति माली निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 15/499

रामचन्द्र आयु 75 वर्ष आत्मज मांग्या जाति माली निवासी ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. मदनलाल आत्मज औंकार जाति माली निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामलाल आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
   1/2. मोहन आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
   1/3. रमेश आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
   1/4. फोरू आत्मज मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
   1/5. देव विधवा मदनलाल जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
2. मोहन लाल आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
3. रमेश आत्मज मदन लाल जाति माली ।
4. रामलाल आत्मज मदनलाल जाति माली ।
5. रामनारायण आत्मज औंकार जाति माली ।
6. धन्ना लाल आत्मज स्वर्गीय हीरा जाति माली निवासी गिरधरपुरा कोटा ।
7. कमलेश आत्मज रामनारायण जाति माली ।
8. बाबू आत्मज रामनारायण जाति माली ।
9. छोटू आत्मज रामनारायण जाति माली ।
10. भूरया आत्मज हीरा जाति माली निवासी हरमाली का खेडा (मृतक) जरिये कायममुकामान
    10/1. बन्टी आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    10/2. नरेश आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    10/3. कैलाश आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    10/4. दयाराम आत्मज भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा ।
    10/5. बजरंगी बेवा भूरया जाति माली निवासी नाडा का झौंपडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. कंवरियां आत्मज हीरा जाति माली निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री कैलाश चन्द नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 7 की ओर से अपील संख्या 15/422 में ।
3. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, अपील संख्या 15/499 में रेस्पोडेन्टगण की ओर से एवं अपील संख्या 15/422 में रेस्पोडेन्ट क्रम 11/1 से 11/5, 12 एवं 14 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 31.01.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में सलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 70/06 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हरमाली का खेडा तहसील हिण्डोली में खसरा नम्बर 64 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में भूरा, हीरा, छोट्या पि0 बजरंगा हिस्सा 1/2, मांग्या वल्द बाल्या कौम माली हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज है । मांग्या का देहान्त हो चुका है और वादी मृतक मांग्या का एकमात्र उत्तराधिकारी है । मांग्या के एक पुत्र सत्यनारायण भी था जो अपने नाना मोधू के गोद चला गया । सत्यनारायण का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा । वादग्रस्त आराजी वादी के पिता मांग्या ने ही 100 वर्ष पूर्व नो–तोड से फाडकर आबाद किया था और ताजिन्दगी वे इस भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं । प्रतिवादीगण का इस भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रतिवादीगण 70 वर्ष से ग्राम हरमाली का खेडा में नहीं रह रहे हैं और न ही इन्होंने इस भूमि पर कभी काश्त की है । राजस्व कर्मचारियों ने अवैध तरीके से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि उनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । वादी के पिता ही इस भूमि पर पिछले 100 वर्षों से काबिज काश्त थे । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम 1/2 भूमि दर्ज कर देने से उनके मन में बदनियति आ गई है और जबरन ताकत के बल पर वह उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

4. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण क्रम 01 से 3 के हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी के पिता मांग्या के हिस्से की भूमि का भी वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं करे एवं उक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करें । प्रतिवादी क्रम 05 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय विलेख पेश करने पर पंजीयन नहीं करे न ही रहन पत्र का पंजीयन करें ।

5. प्रतिवादीगण 06 लगायत 09 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

6. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.05.2008 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य वाद संख्या 73/06 को उक्त वाद संख्या 70/06 के साथ समेकित करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित कर लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के द्वारा दोनों दावे खारिज कर दिये ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त करने का कथन किया ।

9. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ अलग–अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.06.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 29.07.2015 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण वकील प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश करने के बाद साबिक कार्यवाही में लम्बित थी और इसको दिनांक 17.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी संख्या 07 की उपस्थिति दर्ज की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया था और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा संख्या 70/06 खारिज किया गया है और इस निर्णय की एक प्रति प्रकरण संख्या 73/06 में संलग्न करने के निर्देश दिये गये हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 1 से 7 के लायक अधिवक्ता ने अपील संख्या 15/422 में कथन किया कि वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

13. अपील संख्या 15/499 में रेस्पोडेन्टगण की ओर से एवं अपील संख्या 15/422 में रेस्पोडेन्ट कम 11/1 से 11/5, 12 एवं 14 की ओर से विद्वान् अभिभाषक दयाकृष्ण विजय ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी ने दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का पेश

किया था जो चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 27.06.2014 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी के वकील द्वारा पेश किये गये आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साबिक कार्यवाही हेतु लम्बित थी इसमें कुछ तारीख पेशियॉ भी बदली गई । दिनांक 17.06.2015 को लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा संख्या 70/06 को खारिज किया है और इसी निर्णय की प्रति दावा संख्या 73/06 में संलग्न करने के आदेश जारी किये गये हैं । लोक अदालत में सिर्फ वादी और प्रतिवादी संख्या 07 की उपस्थिति दर्ज की गई है। शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है ।

16. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् नये सिरे से नोटिस जारी करें ।

18. निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.1.20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा